



मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

क्रमांक 270/23/2017/चयन

इन्दौर दिनांक 02 नवम्बर, 2017

मध्य प्रदेश खेल और युवा कल्याण सेवा परीक्षा – 2017

संवर्ग – मध्य प्रदेश खेल और युवा कल्याण सेवा

चयन – सूची

आयोग के विज्ञापन क्रमांक 01/2017 दिनांक 07.02.2017 एवं शुद्धिपत्र क्र.-01/01/2017 दिनांक 21.03.2017 के अंतर्गत खेल और युवा कल्याण विभाग, म0.प्र0 शासन के तहत निम्नांकित तालिका में दर्शित पद विज्ञापित किये गये थे। उक्त पदों की पूर्ति के लिए मध्यप्रदेश खेल और युवा कल्याण सेवा परीक्षा – 2017 दिनांक 30.04.2017 को आयोजित की गई थी। लिखित परीक्षा का परिणाम दिनांक 08.06.2017 एवं अतिरिक्त परीक्षा परिणाम दिनांक 10.10.2017 को घोषित किया गया। लिखित परीक्षा में अर्ह आवेदकों के साक्षात्कार दिनांक 28.10.2017 को आयोजित किये जाने के परिणामस्वरूप आवेदकों के गुणानुक्रम के आधार पर निम्नानुसार चयन सूची घोषित की जाती है :-

1 मध्य प्रदेश खेल और युवा कल्याण सेवा

1 मध्य प्रदेश खेल और युवा कल्याण सेवा

	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	योग
कुल पदों की संख्या	14	4	3	4	25
इनमें से महिलाओं के लिये आरक्षित पद	5	1	1	1	
कुल पदों में से श्रवणबाधित निःशक्तजन के लिये आरक्षित पद					1

मुख्य सूची

स.क्र.	अनुक्रमांक	नाम	लिंग	Seat	श्रेणी
1	SW1525	SHAIENDRA SINGH JAT	M	SC	SC
2	SW1356	MISS SHIPRA SRIVASTAVA	F	UNR	GEN
3	SW1352	KRISHNA KANT KHARE	M	UNR	SC
4	SW1319	SANCHITA BARUAH	F	UNRF	GEN
5	SW1327	MOHAMMAD AHMAD KHAN	M	UNR	GEN
6	SW1171	PRADEEP SINGH RAWAT	M	UNR	GEN
7	SW1233	UMA PATEL	F	UNR	GEN
8	SW1331	BRAJRAJ SINGH	M	OBC	OBC
9	SW1220	VIJENDRA DEWADA	M	प्रावधिक SC	SC
10	SW1225	AFAQUE JAHAN KHAN	F	UNRF	GEN

मुख्य सूची

स.क्र.	अनुक्रमांक	नाम	लिंग	Seat	श्रेणी
11	SW1056	PAVI DUBEY	F	UNRF	GEN
12	SW1508	SHILPI PRAVIN VISHWAKARMA	F	UNRF	GEN
13	SW1042	RUCHI SHARMA	F	UNRF	GEN
14	SW1357	ARVIND SINGH RANA	M	OBC	OBC
15	SW1399	PRADEEP ASTEYA	M	SC	SC
16	SW1539	KRASHNA KUMAR CHOURASIYA	M	प्रावधिक OBC	OBC
17	SW1097	SHAKTI RAUT	F	OBCF	OBC
18	SW1239	MANU DHURWEY	F	STF	ST
19	SW1488	RAVINDRA THAKUR	M	ST	ST
20	SW1555	POOJA KUREEL	F	SCF	SC
21	SW1065	SANTARA NINAMA	F	ST	ST

अनुपूरक सूची

स.क्र.	अनुक्रमांक	नाम	लिंग	श्रेणी
1	SW1194	ASHISH PANDEY	M	GEN
2	SW1297	PURNIMA JOSHI	F	GEN
3	SW1156	RAVINDRA HARDIYA	M	OBC
4	SW1111	BHAWANA YADAV	F	GEN
5	SW1388	RAVI PAL	M	OBC
6	SW1207	KAMAL KISHOR ARYA	M	प्रावधिक SC
7	SW1155	AARTI SEN	F	OBC
8	SW1021	PAYAL CHILONGIA	F	SC
9	SW1546	DEV NARAYAN	M	ST
10	SW1054	DELAN SINGH TUMRACHI	M	ST

टीप :-

1. म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-7-46/99/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 07 नवम्बर, 2000 में दिये निर्देशों के तहत अनारक्षित (ओपन) पदों पर चयन हेतु निर्धारित मापदंड के तहत आरक्षित वर्ग के वे ही आवेदक ऐसे ओपन पदों पर चयनित किये गये हैं जो कि "हर प्रकार से सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के समान ही बिना किसी रियायत के योग्यता प्राप्त किये हो" जिसके तहत किसी प्रकार की रियायत को प्राप्त किये बिना तथा मेरिट में आने पर ही आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों का चयन मेरिट गुणानुक्रम में अनारक्षित पदों पर किया गया है।
2. म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ/384/एफ/850/1/3/08 भोपाल, दिनांक 28.08.1998 में दिये निर्देशों के तहत राज्य शासन की सेवाओं में महिलाओं के आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट के संबंध में प्राप्त मार्गदर्शन अंतर्गत - ".....महिलाओं के लिये 30 प्रतिशत आरक्षण का अर्थ यही है कि जो भी महिलायें चयनित हो उनको 30 प्रतिशत आरक्षण के विरुद्ध गिना जायेगा" इसी प्रकार म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ/111/1817/2006/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 29.01.2007 में उल्लेखित मार्गदर्शन अंतर्गत - ".....होरिजेण्टल आरक्षण में उन उम्मीदवारों की भी गणना की जाती है जो योग्यता के आधार पर चयनित हुए हैं। यदि प्रवर्गवार सामान्य चयनित सूची में निःशक्तजन/महिलाएं/भूतपूर्व सैनिक (जिनके लिये होरिजेण्टल आरक्षण है) शामिल न हो तो आरक्षण का लाभ देते हुए "सामान्य कट आफ मार्क्स" के नीचे से चयन करते हुए निर्धारित आरक्षित पदों की पूर्ति की जानी चाहिए"(मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 454 दिनांक 17.11.2015 के अनुसार उक्त 30 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षण को संशोधित करते हुए 33 प्रतिशत किया गया है)
3. उक्त चयन परिणाम मान. उच्च न्यायालय, खंडपीठ, ग्वालियर में दायर अपील याचिका क्रमांक 420/2017 के निर्णय के अध्यक्षीन रहेगा।
4. कुल विज्ञापित 25 पदों में से 01 पद निःशक्तजन - श्रवणबाधित हेतु आरक्षित होने के कारण इस पद के लिए आवेदक उपलब्ध नहीं होने से 01 पद अनारक्षित श्रेणी से रिक्त रखा गया है।
5. न्यायालयीन प्रकरण वाले 07 अभ्यर्थियों के चयन परिणाम मान. उच्च न्यायालय के आदेश के अध्यक्षीन रखे जाकर रोके गये हैं।
6. चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद यदि कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि आयोग के संज्ञान में आती है तो आयोग के पास चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।



(डॉ. पवन कुमार शर्मा)

सचिव

म0प्र0 लोक सेवा आयोग, इन्दौर